



H.P. POLICE/हिमाचल प्रदेश पुलिस
I.L.F. 4 / एकीकृत जॉय फॉर्म

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0003	P.S.(थाना): SHIMLA Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 13/07/2022 11:54 AM	Year(वर्ष): 2022		
2. S.No.(क्र.सं.) Acts(अभियोग)	Sections(धाराएं)			
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7			
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):				
1. Day(दिन):	Date From(दिनांक से):	Date To(दिनांक तक):		
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से):	Time To (समय तक):		
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):	Date(दिनांक): 12/07/2022	Time (समय): 10:00 AM		
(c) General Diary Reference (रोजानामाचा संदर्भ):	Entry No.(प्रविष्टि सं.): 007	Time (समय): 13/07/2022 11:41 AM		
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written				
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):				
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 6 Km(s)		Beat No(बीट सं.):		
(b) Address(पता):				
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)		District(State)(ज़िला(राज्य)): SHIMLA(HIMACHAL PRADESH)		
Name of P.S.(थाना का नाम):				
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):				
(a) Name(नाम): AAYUSHI SINGHAL				
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):				
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1994				
(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA				
(e) UID No (यूआईडी सं.):				
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):				
Date of Issue (जारी करने की तिथि):				
Place of Issue (जारी करने का स्थान):				
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)				
S.No.(क्र.सं.) Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)		Id Number(पहचान संख्या)		
(h) Occupation (व्यवसाय):				
(i) Address(पता):				
S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)		
1	Present Address	VILLAGE-R/O G/9-47 First Floor Sec-15, TEHSIL-Rohani Delhi, DISTRICT-ROHINI, STATE-DELHI, INDIA		
2	Permanent Address	VILLAGE-RO G-947 First Floor, TEHSIL-Sector 15 ROHANI DELHI, DISTRICT-ROHINI, STATE-DELHI, INDIA		
(j) Phone number (दूरभाष न.):				
Mobile (मोबाइल न.):				
7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):				
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):				
S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent Address (स्थायी पता)
1	Krishan Lal		VILLAGE-PS Sadar Shimla, TEHSIL-Shimla, PS-SHIMLA SADAR, DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH.	VILLAGE-PS Sadar Shimla, TEHSIL-Shimla, PS-SHIMLA SADAR, DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH.

		INDIA		INDIA	
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता/ सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):					
9. Particulars of properties of Interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नटवी करें)):					
S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (₹ में))
10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):					
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):					
S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)					

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नटवी करें)):

At this time a complaint Diary No.933 dated 12-7-2022, along with preliminary verification report dated 13-07-2022 of Sub-Inspector Pratap Singh, E/O PS, SV&ACB Shimla, has been received in this Police Station for registration of criminal case. The contents of the verification report is as under :

- निवेदन है कि दिनांक 12.07.2022 को एक शिकायत पत्र कुमारी आयुषी सिंघल पुत्री श्री अशोक कुमार सिंघल निवासी G-9/47, फर्स्ट फ्लोर सेक्टर- 15, रोहिणी, दिल्ली, मोबाइल फोन नंबर 95604- 28772 का Preliminary verification हेतु जनाब उप पुलिस अधीक्षक महोदय थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने मुझे दिया था। कुमारी आयुषी सिंघल के उक्त शिकायत पत्र की प्रारंभिक तस्दीक/छानबीन मैंने साथी कर्मचारी आरक्षी आदर्श के साथ की। शिकायतकर्ता आयुषी सिंघल ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि पुलिस थाना सदर शिमला में कार्यरत अन्वेषण अधिकारी श्री कृष्ण लाल, उप निरीक्षक शिकायतकर्ता के भाई अंशुल सिंघल को बैंक फ्रॉड केस में 31 मई 2022 को शिमला लाकर अरेस्ट किया है। मेरे भाई अंशुल सिंघल ने वर्ष 2019 में मेरे बैंक अकाउंट से ₹ 49,000 मुकेश बंसल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। 27 जून 2022 को मेरे भाई की कोर्ट में पेशी थी। उस दिन अन्वेषणाधिकारी किशन लाल कोर्ट में मिले थे उन्होंने मुझे व मेरे भाई को कहा था कि मेरे अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो मैं आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। तब उन्होंने बोला था कि यह मुकेश बंसल के भाई को गिरफ्तार कर सकता है और सीधे तौर पर ₹50000 की डिमांड की है और कहा है कि आप शिमला मत आना और वहीं से पैसे दे देना और यह पैसे उन्होंने इसलिए मांगे की यह आयुषी को गिरफ्तार नहीं करेगा। शिकायत पत्र की जांच मैंने गुप्त तौर पर की तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता को एक सोनी कंपनी का सरकारी वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 8 GB दिया गया तथा उसके भली-भांति प्रयोग करने के बारे में समझाया गया कि रिश्तत के पैसे मांगने वाले संदिग्ध व्यक्ति के पास जाकर आपसी वार्तालाप की इसमें रिकॉर्डिंग करें। जिस पर शिकायतकर्ता ने दिए गए सरकारी वॉइस रिकॉर्डर में संदिग्ध अन्वेषण अधिकारी किशन लाल से वार्तालाप की रिकॉर्डिंग थाना सदर शिमला के बाहर की तथा रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के मुझे सौंपा। दौरान प्रारंभिक जांच रिकार्डर में शिकायतकर्ता द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को मैंने शिकायतकर्ता के सामने सुना तथा शिकायतकर्ता ने अपने व संदिग्ध किशन लाल के बीच हुई वार्तालाप की पुष्टि की। समय अवधि कम होने के कारण वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट न बनाई जा सकी जो आइन्दा अन्वेषण के दौरान तैयार की जाएगी। सरकारी वॉइस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड 8 GB में रिकार्ड वार्तालाप में संदिग्ध अन्वेषण अधिकारी श्री किशन लाल साफ तौर पर शिकायतकर्ता व इसके भाई को केस में बचाने के लिए Fifty Thousand (पचास हजार) रूपयों की मांग कर रहा है तथा कह रहा है कि कुछ आज अभी दे दो, बाकी कल 10/11 बजे दिन तक दे देना। शिकायत पत्र में लगाए गए आरोप की पुष्टि होना पाई गई तथा पाया गया कि शिकायतकर्ता दिल्ली की रहने वाली है और शिमला आई हुई है तथा संदिग्ध अन्वेषणाधिकारी किशन लाल वतौर उप निरीक्षक सदर थाना शिमला में कार्यरत है। जांच पर यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता श्री सदीप धोल पुत्र सलिनद्र धोल निवासी 15, भराडी शिमला की शिकायत पर थाना सदर शिमला में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161 दिनांक 02.08.2019 में निम्न धारा 420, 120 (बी) भारतीय दंड संहिता बरखिलाफ म्युचल फण्ड कम्पनी के पंजीकृत है। जिसमें बतौर आरोपी शिकायतकर्ता के भाई अंशुल सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि उप कारागार कैथू में अन्य आरोपीगणों के साथ बन्द है तथा मुकदमा की तफतीश संदिग्ध अन्वेषणाधिकारी किशन लाल थाना सदर शिमला द्वारा की जा रही है। शिकायतकर्ता व संदिग्ध के बीच कोई आपसी रंजिश नहीं है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग व शिकायत पत्र की Preliminary verification के आधार पर शिकायत पत्र में लगाए गए आरोप की पुष्टि होना पाया गया है जो शिकायत पत्र की Preliminary verification के आधार पर संदिग्ध अन्वेषणाधिकारी का कृत्य निम्न धारा 7 PC (Amended) Act 2018 के अंतर्गत आना पाया जा रहा है। संदिग्ध अन्वेषणाधिकारी किशन लाल, उप निरीक्षक, थाना सदर शिमला के विरुद्ध अभियोग धारा 7 PC Act 1988 as (Amended) upto 2018 में दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। अतः Preliminary verification रिपोर्ट आगामी कार्यवाही व दिशा निर्देश हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित है। Sd- Sub-Inspector, Pratap Singh, E/O, PS SV&ACB Shimla-2. Action Taken:-From the above preliminary enquiry report a criminal case u/s- 7 of P.C Act. 1988 (amended) PS as on 2018 is made out and FIR has been registered against Sh Kishan Lal, Sub Inspector, PS Sadar Shimla. Copies of FIR is being sent to Ld.Court and seniors officers of SV&ACB HP, Shimla-2. Inspector Naresh Kumar I/O PS, SV&ACB, Shimla is appointed as TLO (Trap Laying Officer) and is directed to lay a trap.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Naresh Kumar

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.):

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

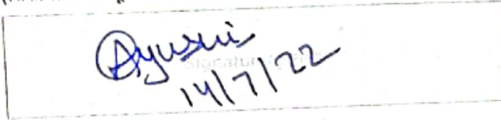
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Kamal Kishore

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No(सं.): Vigilance Anti Corruption Zone

Shimla - 171002

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की तिथि और समय):